

संख्या: २५ /

ISSN-2231-1002

आपका तिस्ता-हिमालय

हिन्दी मासिक

वर्ष : 10, अंक : 105, जू-जुलाई-2019



बाल यौन शोषण सरकार और समाज के लिए सर्वाधिक उपेक्षित और हाशिये की चिंता है

कथाकार सिद्धेश 'आपका तिस्ता-हिमालय साहित्य सृजन सम्मान - 2019' से सम्मानित





प्रभुत्वशाली लैंड माफियाओं के अवैध कृत्यों पर विस्तृत रिपोर्ट अगले अंक में पढ़ें।

जू.-जुलाई-2019

मासिक

मूल्य: 25/- (पच्चीस रुपये)

स्वामी/प्रकाशक एवं मुद्रक रंजू सिंह द्वारा मुक्तधारा प्रेस एंड पब्लिकेशनस के लिए मुक्तधारा प्रेस, अपर रोड, गुरुगनगर,

पो. प्रधाननगर, सिलीगुड़ी-3, जिला दार्जिलिंग (प.बं.)

से मुद्रित एवं 'अमरावती' अपर रोड गुरुगनगर, पो. प्रधाननगर,

जिला- दार्जिलिंग (प.बं.) से प्रकाशित, संपादक: डॉ. राजेन्द्र प्रसाद सिंह

मो: 094340-48163

email : mag.himalayprahari@gmail.com

muktadhara2006@rediffmail.com

Website : www.teestahimalaya.org

RNI No. WBHIN/2010/34186

विज्ञापन विभाग:

ओज़ा मैन, प्रथम तल, हिस्कार्ट रोड, सिलीगुड़ी-1, जिला: दार्जिलिंग, प.बं.,

ब्यूरो चीफ : डॉ. डी.आर. नवीपुरिया, 5/6 अर्द्धशतक फ्लोर, रफ़ी मार्ग, नई दिल्ली-1

प्रबंधन: प्रदीप कोडिया, सिलीगुड़ी

कानूनी सलाहकार: ओम प्रकाश शर्मा, सिलीगुड़ी / सुवीप कुमार, कोलकाता /

राज राजेश्वर सिन्हा, 57-स्कूल रोड, पूर्व पुटीआरी, ग्राउण्ड फ्लोर, कोलकाता-700093

लेखा-गिरीदाक: राज कुमार बिहारी

संपादकीय प्रभाटी: शैलेंद्र चौहान, 34/242, सेक्टर-3, प्रतापनगर, जयपुर-302033, राजस्थान

क्षेत्रीय प्रतिनिधि: शेख मोहम्मद बन्सालत, सोडा, जम्मू-काश्मीर

क्षेत्रीय प्रतिनिधि: डॉ. सत्यमाम आडिल, रांकर नगर, उत्तिसमण्ड, रायपुर,।

क्षेत्रीय प्रतिनिधि: डॉ. मूलचंद गोत्रम, रांकिनगर, चंदौली, पुराटवाड-202412, उत्तर प्रदेश।

क्षेत्रीय प्रतिनिधि: प्रो. मोहन स्वरा, इ.जी.-1083, गोबिन्दगढ़, एसडी कॉलेज रोड, जालंधर, पंजाब।

क्षेत्रीय प्रतिनिधि: सुरेश सेन निराला, गांव सरसाह, डॉ. सुन्दर नगर-1, जिला मण्ड्री, किमाचल प्रदेश-174401

क्षेत्रीय प्रतिनिधि: गीतम सिन्हा, सिक्किम

क्षेत्रीय प्रतिनिधि: अशोक शर्मा 'प्रवीण', सिलीगुड़ी

क्षेत्रीय प्रतिनिधि: डॉ. देवेन्द्र प्रसाद मिश्र, सरसाम-821115, बिहार

क्षेत्रीय प्रतिनिधि: डॉ. चेतन राजपूत, डी-11, 44/3, अर्बागैट कॉलोनी, गणेशखंड, पुणे-411007

क्षेत्रीय प्रतिनिधि: डॉ. सत्य प्रकाश तिवारी, 83-ए कोर्पोरेट रोड, ओम रेंजिडेंस, बी.एल.-3, फ्लैट-3ए, कोलकाता-700002

क्षेत्रीय प्रतिनिधि: विक्रम सिंह, उत्तराखंड, मो: 090122-75039

स्थापक संपादक: डॉ. रंजू नवीपुरिया, नई दिल्ली 7838011230

डिजिटल: काम प्रसाद राय

● पत्रिका से संबंधित सभी तरह के विवाद सिलीगुड़ी न्यायालय द्वारा ही निपटाये जायेंगे।

● रचनाओं में त्रुटि होने पर विचारों से संपादक को सहमति अनिवार्य नहीं है।

संपादकीय : बाल यौन शोषण सरकार और समाज के लिए सर्वाधिक उपेक्षित और हाशिये की चिंता है.....04

कथाकार सिद्धेश 'आपका तिस्ता हिमालय साहित्य सृजन सम्मान - 2019' से सम्मानित.....06

'सिद्धेश' के पुरस्कार समारोह हमें विमल वर्मा के वक्तव्य का सक्षिप्त अंश.....09

'आयुष्मान भारत' की शोक कथा.....11

खंड-खंड पाखंड के शिकार कोलकाता के साहित्यकार.....13

पत्रकारिता पर भगतसिंह का विचार.....14

आज जरूरत है आग्रमों को स्कूलों, शिक्षा संस्थानों और चिकित्सालयों में बदलने की.....15

पार्टी लाइन.....17

कहानी : अन्ना.....18

धारावाहिक उपन्यास : जीवन-यात्रा.....28

धरती पर जीवन.....29



बाल यौन शोषण सरकार और समाज के लिए सर्वाधिक उपेक्षित और हाशिये की चिंता है

हाल ही में (01 जुलाई 2019) जयपुर में एक आदतन यौन अपराधी एक सात वर्ष की अबोध बच्ची के साथ बलात्कार कर घायल अवस्था में उसे छोड़कर भाग गया। लोगों के बड़े प्रतिरोध के बाद पुलिस चेती और अपराधी को पकड़ने की मुहिम में तेजी लाई तब अपराधी पकड़ा गया। इससे पहले भी एक चार साल की बच्ची की बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई थी लेकिन अपराधी पकड़ में नहीं आया था। जबकि ऐसी घृणित और विकृत मानसिकता वाला अपराधी वही व्यक्ति था। वह अपराधी पहले भी ऐसे ही अपराध में पकड़ा जा चुका था। उसके खिलाफ अन्य अपराधों में भी कई मुकदमे दर्ज हैं। उसने फौरी तौर पर खुद स्वीकारा है कि कमसेकम ऐसी 25 अन्य घृणित वारदातों को अंजाम दिया है। सवाल ये है कि हमारी पुलिस और हमारा समाज ऐसे अपराधियों के प्रति लचीला और असावधानी वाला रवैया क्यों अपनाते हैं। ऐसे अपराधी जिनकी गतिविधियां संदिग्ध और समाज विरोधी होती हैं उन्हें उनके कुकृत्यों के लिए अनदेखा करते हैं। घरवाले और उनके जानने वाले उन्हें प्रश्रय भी देते हैं। वे इसकी जानकारी पुलिस और प्रशासन को नहीं देते। वहीं पीड़ित व्यक्ति के संबंधी जब पुलिस में रिपोर्ट करने जाते हैं तो पुलिस टालू रवैया अपनाती है। वह तभी हरकत में आती है जब ऊपर से दबाव पड़ता है या बड़ा प्रतिरोध होता है।

सन 2017 की भारत सरकार और यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 53 प्रतिशत बच्चे बाल यौन अपराध के शिकार हैं। सन 2016 में प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट के तहत 15 हजार मुकदमे दर्ज हुए लेकिन सिर्फ 4 प्रतिशत मामलों में आरोपी को सजा हुई। जबकि 6 प्रतिशत छूट गए और 90 प्रतिशत मामले अभी भी लंबित हैं। कुछ राज्यों की स्थिति तो ऐसी है कि यदि बाल अपराध होना बंद हो जाए तो भी लंबित मामलों के निपटारे में ही 10 से 40 साल लग जाएंगे। ध्यान देने की बात है कि बाल यौन शोषण एक ऐसा अपराध है जिसे अक्सर अनदेखा किया जाता है, क्योंकि लोग इस पर बात करने से बचते हैं। कहा जा सकता है कि बाल यौन शोषण हमारे समाज द्वारा सामना की जाने वाली सामाजिक कुकृत्यों में से सबसे ज्यादा उपेक्षित और हाशिये पर की चिंता है। इसे नजरअंदाज करने के कारण भारत में बाल यौन शोषण की घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। इस प्रकार की घटनाओं के विभिन्न आयाम हैं जिसके कारण समाज इसका सामना करने में असमर्थ है। बाल यौन शोषण न केवल पीड़ित बच्चे पर अपना गहरा प्रभाव छोड़ता है बल्कि पूरे समाज को भी प्रभावित करता है। भारत में बाल यौन शोषण के बहुत से मामलों को दर्ज नहीं किया जाता, क्योंकि ऐसे मामलों को सार्वजनिक करने पर परिवार खुद को असहज महसूस करता है। जबकि इस विषय के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने के प्रयासों के द्वारा इस प्रकार की घटनाओं को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है।

वैसे तो भारत में बाल यौन शोषण एवं दुर्व्यवहार के खिलाफ व्यापक कानूनी ढाँचा है। किंतु इतने कानूनों एवं योजनाओं के बावजूद इनकी तकनीकी चूक तथा इनके कार्यान्वयन में अनियमितता, त्वरित कार्रवाई न होने के कारण ये घटनाएँ होती हैं। इसके लिये जरूरी है सजगता एवं जागरूकता। ऐसे में जरूरी है कि प्राथमिक स्तर पर घर-परिवार, माता-पिता एवं परिजन बच्चों से मिलने वालों एवं उनके साथ खेलने वालों के प्रति सजग रहें वहीं बच्चों को भी अस्वाम्य 'व्यवहार' के प्रति सजग रहने के लिये प्रेरित करना चाहिये। स्कूलों में जहाँ अनिवार्य मनोवैज्ञानिक कैंप होने चाहिये, तो वहीं डॉक्टर, मीडिया व पुलिस को भी इन घटनाओं के प्रति संवेदनशील होना चाहिये। इंटरनेट,

मोबाइल, सोशल मीडिया के अश्लील सामग्री पर अविलंब रोक लगनी चाहिये। वहीं इंटरनेट साइट्स पर पैरेंटल कंट्रोलिंग के विकल्प को मजबूत करना चाहिये। बाल अधिकारों की रक्षा के लिये 'संयुक्त राष्ट्र का बाल अधिकार कन्वेंशन (CRC)' एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है, जो सदस्य देशों को कानूनी रूप से बालअधिकारों की रक्षा के लिये बाध्य करता है। देश में बच्चों का यौन उत्पीड़न रोकने के लिए कानून कड़ा करने और फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने जैसे कई कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक आंकड़ा बताता है कि 1994 से 2016 के बीच बच्चों के दुष्कर्म की घटनाएं 400 फीसदी तक बढ़ गई हैं। यह हाल तब है जब बड़ी संख्या में ऐसी घटनाएं रिपोर्ट नहीं होती हैं। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले पर खुद ही संज्ञान लेना पड़ा है। बच्चों से रेप की बढ़ती घटनाओं से चिंतित सुप्रीम कोर्ट को यहां तक कहना पड़ा कि लगता है कानून का कोई डर नहीं रह गया है। मुख्य न्यायाधीश ने 12 जुलाई को कहा कि मीडिया में आ रही आए दिन बच्चों से बलात्कार की घटनाओं से आहत होकर सुप्रीम रजिस्ट्री से आंकड़े जुटाने को कहा गया था। कोर्ट ने कहा था कि पूरे देश में पहली जनवरी से 30 जून के बीच ऐसे मामलों में दर्ज एफआईआर और की गई कानूनी कार्रवाई के आंकड़े जुटाए जाएं। रजिस्ट्री ने देश के सभी हाइकोर्ट से आंकड़े मंगाए और याचिका तैयार की। जिसके अनुसार ऐसे 24212 मामलों में एफ.आई.आर. की गई। यौन उत्पीड़न के मामलों की जल्द सुनवाई के लिए सरकार ने 18 राज्यों में 1023 फास्ट ट्रैक कोर्ट खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इनमें महिला के यौन उत्पीड़न और बाल अपराधों से जुड़े पॉक्सो एक्ट के मामलों की सुनवाई होगी।

भारत में बाल यौन शोषण एवं दुर्व्यवहार के खिलाफ सबसे प्रमुख कानून 2012 में पारित यौन अपराध के खिलाफ बच्चों का संरक्षण कानून (POCSO) है। इसमें अपराधों को चिह्नित कर उनके लिये सख्त सजा निर्धारित की गई है। साथ ही त्वरित सुनवाई के लिये स्पेशल कोर्ट का भी प्रावधान है। यह कानून बाल यौन शोषण के इरादों को भी अपराध के रूप में चिह्नित करता है तथा ऐसे किसी अपराध के संदर्भ में पुलिस, मीडिया एवं डॉक्टर को भी दिशानिर्देश देता है। वैसे भारतीय दंड संहिता की धारा 375 (बलात्कार), 372 (वेश्यावृत्ति के लिये लड़कियों की बिक्री), 373 (वेश्यावृत्ति के लिये लड़कियों की खरीद) तथा 377 (अप्राकृतिक कृत्य) के अंतर्गत यौन अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु सख्त कानून का प्रावधान है। 8 जनवरी, 2019 को लोकसभा में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (संशोधन) बिल, 2019 पेश किया। बिल यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण एक्ट, 2012 में संशोधन करता है। यह एक्ट यौन शोषण, यौन उत्पीड़न और पोर्नोग्राफी जैसे अपराधों से बच्चों के संरक्षण का प्रयास करता है।

वर्ष 2007 में महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा कराए गए एक अध्ययन के मुताबिक जिन बच्चों का सर्वेक्षण किया गया उनमें से 53 प्रतिशत ने कहा कि वह किसी न किसी क्रिस्म के यौन शोषण के शिकार हुए हैं। अध्ययन से पता चला कि विभिन्न प्रकार के शोषण में पांच से 12 वर्ष तक की उम्र के छोटे बच्चे शोषण और दुर्व्यवहार के सबसे अधिक शिकार होते हैं तथा इन पर खतरा भी सबसे अधिक होता है। इन शोषणों में शारीरिक, यौन और भावनात्मक शोषण शामिल होता है। इस अध्ययन के मुताबिक आम धारणा है कि मात्र लड़कियों का ही यौन शोषण होता है लेकिन इसके

विपरीत लड़कों पर भी बराबर खतरा रहता है। इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि बड़ी संख्या में शोषणकर्ता 'भरोसे के और देख-रेख करने वाले लोग' होते हैं जिनमें अभिभावक, रिश्तेदार और स्कूल शिक्षक, घरेलू नौकर, ड्राइवर, पड़ोसी आदि शामिल हैं। अध्ययन के अनुसार हरेक तीन में से दो बच्चे शारीरिक शोषण के शिकार बने। शारीरिक रूप से शोषित 69 प्रतिशत बच्चों में 54.68 प्रतिशत लड़के थे। 50 प्रतिशत से अधिक बच्चे किसी न किसी प्रकार के शारीरिक शोषण के शिकार थे। 20.90 प्रतिशत बच्चों ने गंभीर यौन शोषण का सामना करने की बात कही, जबकि 50.76 प्रतिशत बच्चों ने अन्य प्रकार के यौन शोषण की बात स्वीकारी। पारिवारिक स्थिति में शारीरिक रूप से शोषित बच्चों में 88.6 प्रतिशत का शारीरिक शोषण माता-पिता ने किया। आंध्र प्रदेश, असम, बिहार और दिल्ली से अन्य राज्यों की तुलना में सभी प्रकार के शोषणों के अधिक मामले सामने आये। 50 प्रतिशत शोषक बच्चों के जान-पहचान वाले या विश्वसनीय लोग जिम्मेवार थे। 83 प्रतिशत मामलों में माता-पिता ही शोषक थे। 48.4 प्रतिशत लड़कियों ने कहा कि वे लड़के होते तो अच्छा था। दुनिया में यौन शोषण के शिकार हुए बच्चों की सबसे बड़ी संख्या भारत में है लेकिन फिर भी यहां इस बारे में बात करने में हिचक दिखती है।

बीते दिनों 'डिजिटल युग में बच्चों के यौन शोषण' समस्या पर कोलकाता में आयोजित पहले अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल प्रतिनिधियों द्वारा इस मुद्दे पर गहरी चिंता जताते हुए इसकी रोकथाम लिए कई सुझाव पेश किए। सम्मेलन में बताया गया कि भारत में वर्ष 2017 में बच्चों के यौन उत्पीड़न के लगभग 24 लाख मामले सामने आए थे। उक्त सम्मेलन में छह देशों के पुलिस अधिकारियों के अलावा जर्मनी, बांग्लादेश, केन्या और कनाडा समेत 15 देशों के सरकारी प्रतिनिधियों, वकीलों, न्यायाधीशों के अलावा फ़ेसबुक, डेलीयॉट व प्राइस वाटरहाउस कूपर्स जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में इस दो-दिवसीय सम्मेलन का आयोजन द वेस्ट बंगाल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन आफ चाइल्ड राइट्स (डब्ल्यूबीसीपीसीआर) ने इंटरनेशनल जस्टिस मिशन (आइजेएम) के साथ मिल कर किया था। सम्मेलन का मकसद दुनिया भर से इस विषय के विशेषज्ञों को एक मंच पर लाकर, विचारों के आदान-प्रदान और परिचर्चा के जरिए एक विस्तृत और प्रभावी समाधान सामने लाना था, ताकि मानव तस्करी में तकनीक की उभरती भूमिका पर बात हो सके। विशेषज्ञों का कहना था कि अपराधियों की ओर से इस्तेमाल की जाने वाली नई तकनीक ने कानून, प्रशासन, पुलिस, न्यायपालिका के साथ-साथ पीड़ितों की सेवा मुहैया कराने वालों के सामने नई चुनौती पेश की है। ज्यादातर देशों में इन अपराधों से निपटने के लिए संसाधनों की भारी कमी है। ऑनलाइन जांच और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर (आईएसपी) से सबूत हासिल करने और उनको अदालत में पेश करने में समस्याएं सामने आती हैं।

कानूनी तौर पर वर्ष 2012 में भारत में बच्चों को यौन हिंसा से बचाने वाला क़ानून (पॉस्को) बनाया गया ताकि बाल यौन शोषण के मामलों से निपटा जा सके। लेकिन इसके तहत पहला मामला दर्ज होने में दो साल लग गए। वर्ष 2014 में नए क़ानून के तहत 8904 मामले दर्ज किए गए लेकिन उसके अलावा इसी साल नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने बच्चों के बलात्कार के 13,766 मामले; बच्ची पर उसका शीलभंग करने के इरादे से हमला करने के 11,335 मामले; यौन शोषण के 4,593 मामले; बच्ची को निर्वस्त्र करने के इरादे से हमला या शक्ति प्रयोग के 711 मामले; घूरने के 88 और पीछा करने के 1,091 मामले दर्ज किए। ये आंकड़े बताते हैं कि बाल यौन शोषण के अधिकतर मामलों में पॉस्को लगाया ही नहीं गया। बाल अधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह क़ानून बहुत अच्छा है लेकिन इसके अमल और सज़ा

दिलाने की दर में भारी अंतर है। इस पर केवल 2.4 प्रतिशत मामलों में ही अमल हुआ है। राही (रिकवरींग एंड हीलिंग फ़ॉर्म इंसेस्ट) फ़ाउंडेशन-इंसेस्ट और बाल यौन शोषण से लड़ने वाला भारत का पहला संगठन है। इसकी प्रमुख अनुजा गुप्ता कहती हैं अभिभावक सामान्यतः यौन शोषण की बात स्वीकार करने में हिचकते हैं और परिवार के सदस्यों की यौन हिंसा की बमुश्किल कभी शिकायत की जाती है। उनके अनुसार 'खामोशी के इस षड्यंत्र' के पीड़ितों, उनके परिवारों और संपूर्ण समाज पर गंभीर प्रभाव पड़ते हैं। ये पूरी तरह असहायता और सदमा पीड़ित को कमज़ोर कर देते हैं। एक बच्चे के लिए आगे आकर यह कहना बहुत मुश्किल होता है कि उसका शोषण किया गया और किसी ने कुछ नहीं किया। यह उनके लिए बहुत हानिकारक होता है। दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य से एक निर्दलीय सांसद राजीव चंद्रशेखर ने इस समस्या को एक 'महामारी' बताते हुए दिल्ली में एक 'ओपन हाउस' का आयोजन किया था जिसका उद्देश्य था कि 'हम बाल यौन शोषण के बारे में बात करना शुरू करें और अपने बच्चों को बचाएं।' चिंता की बात यह है कि बाल यौन शोषण भारत में एक महामारी बन चुका है। इस समस्या को गोपनीयता और इनकार की संस्कृति ने ढक रखा है और सरकारी उदासीनता से यह बढ़ी है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि बाल यौन शोषण उतने बड़े पैमाने पर नहीं है जितना मैं कह रहा हूं लेकिन आंकड़े मेरी बात की गवाही देते हैं। बैंगलुरु, दिल्ली और भारत भर में बच्चों के यौन शोषण के कई हाई-प्रोफ़ाइल मामले सामने आए हैं- यह आश्चर्य की बात भी नहीं है क्योंकि देश में हर तीन घंटे में एक बच्चे का यौन शोषण होता है। इन हैरान कर देने वाले आंकड़ों के बावजूद बाल यौन शोषण पर बात करने की चंद्रशेखर की कोशिशें परवान नहीं चढ़ सकीं। विडंबना यह कि ट्विटर पर महीनों तक उन पर 'भारत को बदनाम करने के पश्चिमी षड्यंत्र का हिस्सा' होने का आरोप लगाया जाता रहा। उनका कहना है कि यही बाल यौन शोषण और इंसेस्ट (परिवार के अंदर व्यभिचार) को रोकने की दिशा में सबसे बड़ी बाधा है। आंध्र प्रदेश, असम, बिहार और दिल्ली से अन्य राज्यों की तुलना में सभी प्रकार के शोषणों के अधिक मामले सामने आये। ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट में भारत के 13 राज्यों के 12,500 बच्चों पर किए सरकारी सर्वेक्षण का हवाला दिया गया। इस सर्वेक्षण में पाया गया कि जवाब देने वाले आधे बच्चों ने कहा कि उन्होंने किसी न किसी प्रकार का यौन उत्पीड़न अनुभव किया है।

इसके निदान और सतर्कता के लिए बेहतर होगा कि अभिभावक खुद अपने बच्चों के इस अपराध के बारे में बताने की कोशिश करें। किसी भी बच्चे का पहली क्लास उसका घर होता है और पहली टीचर उसकी मां होती है। इसलिए समय की आवश्यकता के मुताबिक आज की मम्मी को स्मार्टली अपने बच्चों को इस दूषित वातावरण के बारे में समझाना होगा। अभिभावकों को अपने बच्चों को किसी अजनबी से बात करने को, उससे कोई सामान लेने से मना करना होगा। बच्चों को आप गुड टच और बैड टच के बारे में खुलकर बतायें। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि आप अपने बच्चों के सबसे अच्छे दोस्त बनें ताकि बच्चे आप से कोई भी बात छुपाये नहीं और अपने साथ हुई हर बात को वो आपसे बेझिझक शेयर करें। वहीं समाज में लोगों की संवेदना जगाने के लिए बृहत् प्रयासों की आवश्यकता है ताकि अपराध करने वालों को चिह्नित किया जा सके, उन्हें इन अपराधों से रोका जा सके, समझाया जा सके। इसके लिए सरकार और नागरिकों को मिलकर प्रयास करने होंगे। सामाजिक समूहों और संस्थाओं को आगे आना होगा ताकि कल हम एक बेहतर और सुरक्षित समाज बना सकें।

-शैलेन्द्र चौहान